(ख) क्या मशस्त्र मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों और विस्फोटों के कारण भारी क्षति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इन विद्रोहियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) असम उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1973 को जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा मिजोरम संघ शासित क्षेत्र को और 6 महीने की अवधि के लिए "उपद्रवग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया है ।

(ख) जबकि मशस्त्र मिजो विद्रोहियों द्वारा सरकारी धन की चोरी के कारण कुछ क्षति हुई है, परन्तु ऐसे विद्रोहियों की तोड़फोड़ की गतिविधियों द्वारा हुई क्षति नगण्य बताई गई है ।

(ग) ऐसे भूमिगत विद्रोहियों की गतिविधि में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से मिजोरम प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं ।

Tenure of Secretary, U.P.S.C.

5967. SHRI S. M. BANERJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the present incumbent of the post of Secretary, Union Public Service Commission, has been holding this post for the past 9 years;

(b) whether usually the period fixed for holding the post of Secretary, U.P.S.C. is three years; and

(c) if so, the reasons for keeping the present incumbent in the post of Secretary, U.P.S.C. for as many as 9 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) and (b). Under Regulation 3 of the U.P.S.C. (Staff) Regulations, 1958 made by the President under clause (b) of article 318 of the Constitution, the Secretary of the Commission shall be appointed by the Commission and shall hold office for such period as may be fixed at the time of his appointment. No fixed tenure has been prescribed for the post of Secretary to the Commission. The present Secretary of the Commission was appointed with effect from 22-2-1965 and his tenure was fixed for five years with effect from that date, in the first instance. The term was extended for a further period of three years with effect from 22-2-1970. Pending the selection and appointment of a successor, his term has been further extended for a period of three months with effect from 22-2-1973.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश के जिलाबस्ती में कराही ग्राम के हरिजनों के मकानों को लूटा जाना

5968. **श्री अनंत प्रसाद धूसिया** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में कराही ग्राम के हरिजनों के घरों को वहां के जमींदार तथा अन्य लोगों ने हाल ही में लूट लिया है ;

(ख) क्या पुलिस ने उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा हरिजनों को गाली दी तथा उन्हें धमका कर पुलिस स्टेशन से भगा दिया; और

(ग) क्या इस मामले की रिपोर्ट जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक को भी की गई थी; और यदि हां, तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों तथा जमीदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)। (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 7 फरवरी, 1973 को जिला बस्ती, थाना कोतवाली, ग्राम कराही के कुछ हरिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी कि गांव के कुछ अहीरों ने उनकी एक झोपड़ी में आग लगा दी और उनकी औरतों और बच्चों को भी पीटा था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/323/436 के अन्तर्गत एक मामला तुरन्त दर्ज किया गया था। विरोधी पक्ष द्वारा भी उसी घटना के सम्बन्ध में शिकायत करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/323/325/336/436 के अन्तर्गत प्रतिकारात्मक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक हरिजन तथा दो विरोधी पक्षकारों को गिरफ्तार किया था। 22 फरवरी, 1973 को दोनों मामलों में आरोप पत्र प्रस्तुत किए गये जो निर्णयाधीन हैं। दोनों पक्षों के 19 व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/117 के अन्तर्गत पुलिस ने कार्यवाही भी आरम्भ की थी। वह भूमि खण्ड जिसके लिए दोनों पक्षकारों के बीच विवाद हुआ था उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन जब्त किया गया था।

(ग) हरिजनों द्वारा की गई एक शिकायत दिनांक 19 फरवरी, 1973 को पुलिस अधीक्षक बस्ती के कार्यालय में प्राप्त हुई थी। इसमें आरोप था कि जब हरिजन आवेदक थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो इसके विपरीत उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया और उनको जेल में बन्द किया गया था। दिनांक 20 फरवरी, 1973 को जिला मजिस्ट्रेट को की गई एक अन्य शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि कोतवाली पुलिस ने हरिजनों की रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था और दूसरी ओर सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया था। इस शिकायत को भी पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि कोतवाली पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के सम्बन्ध में शिकायत सिद्ध नहीं हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने तथा जांच करने में पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की थी। कोतवाली पुलिस का कोई भी पुलिस कर्मचारी गलती पर नहीं पाया गया। अतः पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।